प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 763/ 1993

अपीलार्थी हेमकांत झा, पिता रघुनंदन झा, आयु लगभग 29 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी बस टिकिया, थाना समहोला, जिला भागलपुर (बिहार), वर्तमान में निवासी बेलपहाड़ गुमाडेरा, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा जिला दंडाधिकारी, रायगढ़, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्रमांक 986/1991

अपीलार्थी रामुकिशन, पिता– पानबुड़ी किशन, आयु 35 वर्ष, व्यवसाय – मछली विक्रेता, निवासी– बिरशीपाली, थाना– लखनपुर,

जिला– संबलपुर (उड़ीसा)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा थाना प्रभारी, थाना– चक्रधर नगर, जिला– रायगढ़ मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

<u>दांडिक अपील क्रमांक 987/1994</u>

<u>अपीलार्थी</u> विद्याधर, पिता– भजमन उर्फ भजो बुडा, आयु 30 वर्ष, व्यवसाय – मजदूर, निवासी– सिरीयापाली, थाना– कलबीरा, जिला– संबलपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा थाना प्रभारी, थाना– चक्रधर नगर, जिला– रायगढ़ मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

<u>दांडिक अपील क्रमांक 988/1994</u>

<u>अपीलार्थी</u> बहादुर उर्फ सुकरू, पिता– मिर्धा किशन,

आयु 35 वर्ष, निवासी– जुनाडीह नवापारा, बेलपहाड़, जिला– संबलपुर (उड़ीसा)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> (मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

द्वारा थाना प्रभारी, थाना– चक्रधर नगर, जिला– रायगढ़ मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>(दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपीलें)</u>

<u>उपस्थित:</u>

श्री अफरोज़ ख़ान, दां.अपील क्रमांक 763/93 में अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री विजय के. देशमुख, दां.अपील क्रमांक 986/94, 987/94 एवं 988/94 में

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता ,राज्य की ओर से।

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 05.07.2011)

(1) इन अपीलों को दिनांक 29-06-1993 को पारित उस निर्णय एवं आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है, जो सत्र विचारण क्रमांक 198/1991 में माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित किया गया था। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 एवं 450 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा क्रमशः सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाँच वर्ष का सश्रम कारावास का दण्डादेश दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि कि उपर्युक्त दोनों दण्ड एक साथ चलेंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :-

आठ अभियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 450, 395 एवं 397 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु विचारण किया गया था। इनमें से पाँच—अर्थात् चारों अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त रविचंद नायक—दोषसिद्ध कर दंडित किए गए, जबकि शेष तीन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार, दिनांक 9–10 सितम्बर

1991 की मध्यरात्रि में अभियुक्तगण एक जीप में सवार होकर परिवादी श्यामलाल (अभि.सा.-1) के निवास पर पहुँचे, जिनमें से कुछ अभियुक्त घर के भीतर गए तथा डण्डों एवं चाकुओं से युक्त होकर। उन्होंने परिवादी एवं उसके परिवारजनों पर हमला किया और नकदी, वस्त्र व आभूषणों की डकैती की। घटना के तत्काल पश्चात् श्यामलाल द्वारा देहाती नालिशी (प्रदर्श-पी/2) दिनांक 10.09.1991 को दर्ज कराई गई। अभियुक्तगण को गिरफ़्तार कर दिनांक 05.10.1991 को पहचान कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सम्पन्न किया गया, जिसमें श्यामलाल (अभि.सा.-1), शेसव बाई (अभि.सा.-24- श्यामलाल की पत्नी) एवं ईश्वर प्रसाद (अभि.सा.-14- श्यामलाल का पुत्र) ने अपीलार्थियों की पहचान की। आगे की विवेचना में अभियुक्तों के कब्जे से वस्त्र, टॉर्च आदि विभिन्न सामग्री जब्ती मेमोरेंडम प्रदर्श-पी/13, पी/14, पी/15, पी/16, पी/19, पी/20 एवं पी/21 के माध्यम से जप्त की गई तथा दिनांक 26.10.1991 को पहचान मेमोरेंडम (प्रदर्श-पी/3) द्वारा उनकी पहचान कराई गई। इन वस्तुओं को भी श्यामलाल (अभि.सा.-1), शेसव बाई (अभि.सा.-24) और अन्य साक्षी द्वारा पहचाना गया था। दिनांक 13.9.91 को जब्ती मेमोरेंडम प्रदर्श पी/17 के माध्यम से अपीलकर्ता- हेमकांत झा के कब्जे से 50/- रुपये के छह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करेंसी नोट, कुल 300/- रुपये, जब्त किए गए थे। वे हथियार, जो कथित तौर पर डकैती की संपत्ति के साथ जब्त किए गए थे, और कुछ कपड़े तथा मिट्टी आदि, जिन पर खून जैसे दाग पाए गए थे, रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), सागर भेजे गए थे, जहाँ से एक रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/46) प्राप्त हुई थी। कुछ वस्तुओं पर खून के दाग पाए गए थे। इन वस्तुओं को सीरम विज्ञानी परीक्षण हेतु भेजा गया था और एक रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/47) प्राप्त हुई थी। सीरम विज्ञानी प्रतिवेदन के अनुसार, कपड़ों पर पाए गए रक्त के दागों में मानव रक्त थे, जबकि लाठियों पर पाए गए रक्त के दागों का मूल स्रोत सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से दो प्रकार के साक्ष्यों पर निर्भर था। पहला, अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान; और दूसरा, परिवादी और उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित संपत्ति की पहचान।

(4) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के कंडिका - 25 में संपत्ति की पहचान संबंधी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि, यह सिद्ध नहीं हुआ कि पहचान हेतु प्रस्तुत किए गए वस्तु वही थे जो परिवादी श्यामलाल (अ.सा.-1) के घर से लूटे गए थे। हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान संबंधी साक्ष्य पर भरोसा करते हुए सत्र न्यायाधीश ने यह माना कि

यह संदेह से परे सिद्ध हो गया कि चारों अपीलकर्ता तथा सह-अभियुक्त रवीचंद नायक ने परिवादी के घर में घटित डकैती के अपराध में भाग लिया था। इसलिए, वे भारतीय दंड संहिता के उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत सिद्धदोष किए जाने के लिए दायी थे।

(5) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अफरोज खान और श्री विजय के. देशमुख ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण की पहचान से संबंधित साक्ष्य संदिग्ध थे, इसलिए ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) इसके विपरीत, श्री सतीश गुप्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने इन तर्कों का आक्षेप किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(8) श्यामलाल (अभि.सा.-1) ने घटना के बारे में स्पष्ट रूप से अभिकथन किया। उसने अभियुक्त- रामुकिशन, राजू दास, रविचंद नायक, हेमकांत झा, गोविंद, बलराम ताडु, विद्याधर और बहादुर उर्फ सुकरू की पहचान की। उसने बयान दिया कि चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों में टॉर्च थी और वे अपनी टॉर्च

चालू करके उसके घर में घूम रहे थे, इसलिए उसने उन्हें टॉर्च की रोशनी में पहचाना। हेमकांत झा के बारे में, उसने बयान दिया कि वह एक अन्य अभियुक्त के साथ जीप में बैठा था। उसने जीप में 2 व्यक्तियों को देखा था जिनमें से एक हेमकांत झा था। आगे की विवेचना में, उसने अभिकथन किया कि उसे अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए बुलाया गया था और उसने पहचान कार्यवाही में अपनी पत्नी- शेसव बाई (अभि.सा.-24), पुत्र- ईश्वर प्रसाद (अभि.सा.-14) और पुत्री- सुरेखा के साथ भाग लिया था। पहचान कार्यवाही में सभी अभियुक्त व्यक्तियों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसने बहुत स्पष्ट रूप से अभिकथन किया कि पहचान कार्यवाही में केवल 4 अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान उसके द्वारा की गई थी। जो अभियुक्त रामुकिशन, रविचंद नायक, सुकरू किशन और विद्याधर बुडा थे। उसने बहुत स्पष्ट रूप से अभिकथन किया कि केवल 4 अभियुक्त व्यक्तियों को पहचान के लिए रखा गया था और अन्य अभियुक्त व्यक्ति जेल में थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) शेसव बाई (अभि.सा.-24) पहचान कार्यवाही की अन्य गवाह है। उसने बहुत स्पष्ट रूप से अभिकथन किया कि उसने पहचान कार्यवाही में भाग लिया था और उसमें कुछ अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी, लेकिन वह उन्हें न्यायालय में पहचान नहीं सकी।

(10) ईश्वर प्रसाद (अभि.सा.-14) भी पहचान का साक्षी है। उसने बयान दिया कि टॉर्च की रोशनी में, उसने अभियुक्त- राजू, बलराम, रामुकिशन, सुकरू किशन, हेमकांत झा, विद्याधर बुडा और गोविंद की पहचान की थी। हेमकांत झा के बारे में, उसने अभिकथन किया कि वह भी अन्य अभियुक्त व्यक्ति के साथ उनके घर में घुसा था।

(11) पहचान के उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन में, हम पाते हैं कि जहाँ तक रामुकिशन, बहादुर उर्फ सुकरू और विद्याधर की पहचान का संबंध है, वह अखंडनीय है क्योंकि पहचान के 2 साक्षियों अर्थात् श्यामलाल (अभि.सा.-1) और शेसव बाई (अभि.सा.-24) ने उनकी न्यायालय में पहचान की है और उनकी न्यायालय पहचान की पुष्टि पहचान कार्यवाही की सामग्री से भी हुई थी। (प्रदर्श-पी/1)। इसलिए, उपर्युक्त 3 अपीलार्थीगण अर्थात् रामुकिशन, बहादुर उर्फ सुकरू और विद्याधर की भागीदारी के संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित है और यह सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध होता है कि वे परिवादी के घर में घुसे थे और अन्य हमलावरों के साथ डकैती करने में भाग लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) जहाँ तक हेमकांत झा के प्रकरण का संबंध है, श्यामलाल (अभि.सा.-1) ने बहुत स्पष्ट रूप से बयान दिया कि हेमकांत उनके घर में नहीं घुसा

क्योंकि वह जीप में बैठा था जो कुछ दूरी पर उनके घर से खड़ी थी। श्यामलाल के उपरोक्त साक्ष्य का खंडन ईश्वर प्रसाद (अभि.सा.-14) के साक्ष्य से होता है, जो स्पष्ट रूप से बयान देता है कि हेमकांत भी उनके घर में घुसा था और घर में प्रवेश करके डकैती में भाग लिया था। उपरोक्त के अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि जीप में रोशनी थी और परिवादी ने उक्त रोशनी में हेमकांत की पहचान की थी। परिवादी के अनुसार, जीप सड़क पर थी और उसने हेमकांत को जीप में कुछ दूरी से देखा था। उपरोक्त के अलावा, श्यामलाल ने यह भी बयान दिया कि पहचान कार्यवाही के दौरान केवल 4 व्यक्तियों को पहचान के लिए लाया गया था। जिसमें वह हेमकांत का नाम नहीं लेता है। श्यामलाल (अभि.सा.-1) और ईश्वर प्रसाद (अभि.सा.-14) के साक्ष्य के मूल्यांकन में यह प्रतीत होगा कि हेमकांत की पहचान संदिग्ध हो जाती है। मेरा विचार है कि यद्यपि हेमकांत की पहचान, पहचान कार्यवाही में की गई थी उपरोक्त गवाहों द्वारा, लेकिन प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, उसकी पहचान का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) श्री सतीश गुप्ता, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हेमकांत की पहचान कार्यवाही में 2 प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा विधिवत पहचान की गई थी,

इसलिए, उसकी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे क्योंकि पहचान कार्यवाही की सामग्री और कार्यवाही सिद्ध माना गया है।

(14) न्यायालय में किसी अभियुक्त की पहचान, पहचान करने वाले व्यक्ति का मूल साक्ष्य होती है, और पहचान कार्यवाही में पहले की गई पहचान केवल उसकी पुष्टि करती है। पहचान कार्यवाही का उद्देश्य न्यायालय में की गई पहचान के लिए सहायक साक्ष्य प्रदान करना है, जबकि न्यायालय में की गई पहचान ही प्रमुख साक्ष्य होती है। पहचान कार्यवाही मुख्यतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए केवल पहचान कार्यवाही के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती जो विवेचना के दौरान की गई हो। अभियुक्त की पहचान का वास्तविक और मूल साक्ष्य मिलता है जब साक्षी न्यायालय में अभिकथन करते हैं, और अभियुक्त की पहचान करते हैं। अतः राज्य के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कृपया देखे- ***सम्पत तात्यादा शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 791; जॉर्ज बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 1376; दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 1188 एवं मुंशी सिंह गौतम (मृत) और अन्य बनाम म.प्र. राज्य, (2005) 9 एस.सी.सी. 631।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) इसके अतिरिक्त, हेमकांत के विरुद्ध अन्य साक्ष्य उसके कब्जे से 300/- रुपये की जब्ती शामिल है, जैसा कि जब्ती मेमोरेंडम प्रदर्श-पी/17 में है। केवल इसी के आधार पर यह संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वह भी घटना कारित करने में भागीदार था।

(16) उपरोक्त कारणों के आधार पर, मैं अपीलकर्ता हेमकांत झा की दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हूँ। साथ ही, विद्वान सत्र न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता हेमकांत ने भी उक्त अपराध कारित करने मे भाग लिया था, अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) परिणामस्वरूप, दांडिक अपील क्रमांक 763/93 (हेमकांत झा बनाम राज्य) स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता- हेमकांत झा दिया गया दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता हैं। उसे आरोपित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी- हेमकांत को दिनांक 15.9.91 को जेल भेजा गया था और दिनांक 7.11.94 को जमानत पर रिहा किया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूति उन्मोचित की जाती है। अन्य दाण्डिक अपीलें, अर्थात् दां.अपील क्रमांक 986/93; दां.अपील क्रमांक 987/93 एवं दां.अपील

क्रमांक 988/93 खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Amitesh Anand Rathore